

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222651
SG-DL-E-22102020-222651

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]	दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2020/आश्विन 29, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 177
No. 229]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2020/ASVINA 29, 1942	[N. C. T. D. No. 177

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2020

सं. 08 / 2020—राज्य कर

सं. फा. 3(46)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/126.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (दूसरा संशोधन) नियम 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में तारीख 2 मार्च, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 31क के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम 1 मार्च, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य का 100/128, इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए “आयोजनकर्ता राज्य” पद का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

टिप्पण : मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में अधिसूचना सं. फा. 3(10)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 अधिसूचना सं. 22/2019-राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका संख्यांक सं. फा. 3(34)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/65, तारीख 28/08/2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 02/2020-राज्य कर तारीख 28/08/2020, अंतिम संशोधन किया गया था।

FINANCE (REVENUE -I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st October, 2020

No. 08/2020-State Tax

No. F. 3 (46)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/126.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2020.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the 2nd day of March, 2020.
2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, with effect from the 1st March, 2020, in rule 31A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the Organising State, whichever is higher.

Explanation:— For the purposes of this sub-rule, the expression “Organising State” has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.”

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)

Note : The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, (i) *vide* notification dated the 22nd June, 2017, published *vide* No. F. 3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended *vide* notification No. 02/2020 - State Tax, dated the 28/08/2020, published *vide* No. F. 3(34)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-IV/65, dated the 28/08/2020.